हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज

अहकॉम जा... हुक्म की त... में जारी हुए

09/07/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी निगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 14/07/25 को पेश हो।

14/07/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप.। विप्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्व में प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय करने का जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। वकील उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) RT Act का पेश किया। मौजा मेगलिया पाड़ा तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 449 तक जाने हेतु खेत खसरा सं. 780/445 मौजा मेगलिया पाड़ा तहसील सेड़वा में से रास्ता मांगा गया व आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, बाद तामील विप्रार्थीगण उक्त खसरान की मौका रिपोर्ट तहसीलदार सेड़वा से मंगवाई गई, इस रास्ते के संबंध में पूर्व में दो मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थीगण के आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं है। व प्रकरण 2019 से विचाराधीन है रास्ते से सम्बन्धी प्रकरण अतिआवश्यक प्रकृति के होते हैं व इस प्रकरण में दो बार मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। विप्रार्थीगण अन्य खसरे से मौका रिपोर्ट मंगवाना चाहता है जिसकी दूरी प्रार्थीगण द्वारा चाही गयी दूरी से बहुत अधिक है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता जिसकी दूरी बहुत कम है व न्याय संगत है। विप्रार्थीगण प्रकरण को लम्बा चलाने के लिए बार-बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके न्यायालय का भी समय बर्बाद कर रहे हैं व प्रार्थीगण रास्ते के अभाव में लम्बे समय से न्याय से वंचित है वादग्रस्त प्रकरण में पूर्व में प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ते के प्रकरण का निस्तारण किये जाने का [illegible] फरमावे व पूर्व में पारित पुनः मौका रिपोर्ट [illegible] किये जाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:31 IST
Reason: SelfAttested

वकील विप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण पूर्व में आवागमन हेतु ख.नं. 783/446 में करते है पूर्व में मौका रिपोर्ट ख.नं. 783/446 में आयी थी उनके न्यायालय द्वारा दोनों मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज

दिनांक 13/12/23 को पुनः मौका रिपोर्ट के आदेश जारी कर तहसीलदार स्वयं को नियुक्त किया गया कि तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर मौका फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करे अगर प्रार्थी को उक्त दिनांक 13/12/23 को पुनः मौका रिपोर्ट न्यायालय द्वारा जारी की गई थी उस पर एतराज/उजगार था तो प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय/अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दिनांक 13/12/23 को जारी मौका रिपोर्ट को दुरस्त करवाना था, जबकि ऐसा प्रार्थीगण द्वारा कोई आदेश न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। कि उक्त दिनांक 13/12/23 को जारी न्यायालय/अपीलीय न्यायालय द्वारा अगर निरस्त किया जाता है तो यह न्यायालय उक्त पूर्व में जारी की मौका रिपोर्ट पर अवलोकन कर आदेश कर सकता है, अन्यथा नहीं, कि प्रार्थीगण द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट न्यायालय द्वारा जारी दिनांक 13/12/23 को किसी अपीलीय सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की गई है, नहीं किसी सक्षम न्यायालय का पुनः मौका रिपोर्ट दिनांक 13/12/23 को अपास्त करने का आदेश है इसलिए उक्त न्यायालय पूर्व में मौका रिपोर्ट जारी दिनांक 13/12/23 को अपास्त नहीं कर सकता है जबकि सक्षम/अपीलीय न्यायालय का आदेश न हो तो। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में जारी मौका रिपोर्ट दिनांक 13/12/23 को किसी सक्षम न्यायालय/अपीलीय न्यायालय में अपील नहीं की गई है न ही अपीलीय न्यायालय का ऐसा कोई आदेश है जो पूर्व में मौका रिपोर्ट जारी दिनांक 13/12/23 को अपास्त करने का, इसलिये न्यायालय पूर्व में जारी मौका रिपोर्ट तहसीलदार से मंगवाकर अवलोकन करके आदेश फरमावें।

वकील अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया [illegible] पत्रावली एवं पूर्व में प्राप्त दोनों मौका [illegible] किया गया। तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2[illegible](ए) के प्रावधानों के व्यापक अनुसार किसी खातेदार को एक खेत से दूसरे खेत के लिये जाने हेतु निकटतम रास्ता उपलब्ध हो वहां से रास्ता दिया जाना चाहिए है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:31 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर उपरोक्त उनवान प्रकरण में पूर्व में प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया जाता है तथा न्यायालय की आदेशिका 13/12/23 के अनुसार पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने की अपास्त खारिज की जाती है।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 23/12/21 का अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है अतः शर्त संबंधी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो संख्या से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:31 IST
Reason: SelfAttested

उनवान–तोगा वगैरा बनाम उमेदी वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 98/2019

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन– 98/2019 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उनवान :–

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. तोगा पुत्र सखी 2. आलम पुत्र सखी 3. रूमाली पुत्र सखी 4. ईजत बेवा सखी जातियान मुसलमान निवासीगण मंगलिया पाडा, जानपालिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	1. उमेदी पत्नी जमील 2. उमर पुत्र दीनू जातियान मुसलमान निवासी मंगलिया पाड़ा, जानपालिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार सेड़वा

वकील प्रार्थी :– श्री बाबूलाल विश्नोई
विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के वकील– श्री हासम खान

निर्णय

दिनांक 14/07/2025

प्रार्थीगण तोगा पुत्र सखी जाति मुसलमान निवासी मंगलिया पाडा, जानपालिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एक काश्तकार हैं एवं प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत खसरा संख्या 449 रकबा 35.15 बीघा किस्म बारानी दोयम का ग्राम मंगलिया पाड़ा पटवार क्षेत्र जानपालिया भू अभिलेख निरीक्षक बुरहान का तला तहसील सेड़वा में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है तथा अपने रहवास हेतु ढाणियां, टांके व मवेशियां के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थीगण की जोत व ढाणियों पर आने जाने के लिए विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 780/445 रकबा 37.00 बीघा में से चल कर सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए एक मात्र रास्ता है। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु कदीम रास्ता है, जिसका उपयोग प्रार्थीगण वर्षों से करते आ रहे है तथा यह एकमात्र रास्ता है। काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 449 रकबा 35.15 बीघा के चारो ओर के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध रहता है। झगड़ा होने की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है।

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण रास्ते की भूमि का उपयोग मात्र आवागमन हेतु करेगा, इस संबंध में प्रार्थीगण रास्ते बाबत् विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अन्य किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अतः निवेदन है कि सड़क मार्ग से प्रार्थीगण के खेत मंगलिया पाडा पटवार क्षेत्र जानपालिया तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 449 रकबा 35.15 बीघा में जाने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 780/445 रकबा 37.00 बीघा में से नया मार्ग खोलने का आदेश कर स्वीकृत मार्ग को राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में अंकित करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा को प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते से संबंधित तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन हेतु न्यायालय के पत्रांकः रीडर/2021/6645 दिनांक 13.12.2021 व रीडर/2023/356 दिनांक 01.03.2023 के द्वारा तहसीलदार सेड़वा को लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2021/4885 दिनांक 23.12.2021 व भू.अ./2023/1889 दिनांक 25.04.2023 के द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम मंगलिया पाड़ा के खातेदारान् तोगा, आलम रूमाली पि. सखी कौम मुसलमान ने अपनी खातेदारी खेत खसरा संख्या 449 रकबा 35.15 बीघा किस्म बारानी दोयम से सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 780/445 रकबा 37.00 बीघा में से होकर रास्ते हेतु समर्पण भूमि खसरा संख्या 889/445, 888/446 तक पहुंचने के लिए रास्ते की मांग की है। प्रार्थीगण द्वारा मांगे गए प्रस्तावित रास्ते के अलावा सड़क मार्ग तक पहुंचने हेतु अन्य कोई निकटतम विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि आवागमन योग्य है। मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उमेदी वगैरा	780/445	37–00 बीघा	03 गट्ठा	0.02 बीघा	मंगलिया पाडा	2946 /–	बा.दो

प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 780/445 रकबा 37.00 बीघा में से मांगे गये प्रस्तावित रास्ते में 0.02 बीघा अक्षरे दो बिस्वा भूमि प्रयुक्त होगी। प्रस्तावित रास्ते में कोई कीमती पेड़, मकान, आदि नहीं है। संलग्न नक्शे में बरंग हरे रंग से प्रस्तावित रास्ते को दर्शाया गया है। इसके अलावा अन्य कोई निकटतम विकल्प प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 449 से सड़क मार्ग तक पहुंचने हेतु उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र निकटतम विकल्प है। ग्राम मंगलिया पाड़ा की डीएलसी सिंचित सड़क पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:36:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (2)
(SDO) सेड़वा

29452 / – रूपये प्रति बीघा है। मौका रिपोर्ट पढकर सुनाई गई। सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर / अंगुष्ठ निशान किए।

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उमेदी वगैरा	780 / 445	37–00 बीघा	03 गट्ठा	0.02 बीघा	मंगलिया पाडा	2946 / –	बा.दो

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी / संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी / डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 23.12.2021 मय फर्द दिनांक 17.12.2021 एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग हरा से दर्शाया गया है जिस[illegible] 03 [illegible] रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि नि[illegible] [illegible]र की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। मौका रिपोर्ट दिनांक 23.12.2021 म[illegible] [illegible].2021 व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

रहेंगे। प्रार्थीगण को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थीनी द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 14.07.2025 **को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।**

पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

14.07.2025
(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान-सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा, बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/4885

दिनांक: 23/12/21

प्रेषित:- श्रीमान सहायक कलक्टर (SDO)
महोदय, सेड़वा

विषय:- राजस्व आवेदन क्र. 98/2019 उनवान लोगा बनाम उमेदी वगैरह अन्तर्गत राज.का.अधि. की धारा 251'A' में मौका जाँच रिपोर्ट भिजवाने के क्रम में।

प्रसंग:- श्रीमान का पत्रांक/रीडर/2021/6645 दिनांक: 13/12/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्रांक की पालना में माननीय न्यायालय के रा.आ.क्र. 98/2019 उनवान लोगा बनाम उमेदी वगैरह अन्तर्गत धारा 251'A' रा.का.अधि. में आदेश दिनांक 13.12.2021 की पालना हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सारला को मौका रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षक (भू.नि.) सारला द्वारा दिनांक 17.12.2021 को मौके पर जाकर मौका जाँच फर्द मय नक्शा तहरीर कर रिपोर्ट इस कार्यालय में पेश की। मूल रिपोर्ट अवलोकन बाद प्रतिहस्ताक्षर के इस पत्र के संलग्न श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रकरण में विवादित आराजी ख.न. 780/445 पर माननीय न्यायालय सहा. कल. एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा में प्र.न. 181/2021 दिनांक 02.09.21 द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

सादर।

भवदीय

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

प्रस्तुत करें
(हस्ताक्षर)

रीडर
(हस्ताक्षर)
27/12/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:31 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका

आज दिनांक 17-12-2021 को श्रीमान तहसीलदार सेड़वा के आदेश क्रमांक/दिनांक 13-12-2021 एवं माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व आवेदन संख्या 98/2019 अनवान तोगा बनाम उमेदी कौरह अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A में मौका रिपोर्ट तैयार करने मय हल्का पटवारी के खसरा 780/445 पर आया।

ग्राम मंगलिया पाड़ा के खातेदारान तोगा, आलम वगैरह पिसरान कौम मुसलमान ने अपनी खातेदारी खेत खसरा संख्या 449 रकबा 35-15 बीघा किस्म कडोपम से सड़क मार्ग तक आने जाने के लिये विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 780/445 रकबा 37-00 बीघा में से रास्ते हेतु समर्पण ग्राम खसरा संख्या 889/445, 888/446 तक पहुंचने के लिये रास्ते की मांग की है। प्रार्थीगण द्वारा मांगे गये प्रस्तावित रास्ते के अलावा सड़क मार्ग तक पहुंचने हेतु अन्य कोई निकटतम विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि आवागमन योग्य है जिसका विवरण निम्नानुसार है! –

क्र०स०	खातेदारान का नाम मय सकुनत	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते की लं. x चौ.	प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त भूमि	DLC दर प्रति बीघा	प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त भूमि की DLC से कीमत	प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त भूमि का DLC दर से दुगुनी दर से राशि
1.	उमेदी पत्नी जमीलखां ½ उमर वल्द दीनू ½ कौम मुसलमान सा० मंगलिया पाड़ा खातेदार रहन – उमेदी का तिस्सा SBBJ शाखा सेड़वा	मंगलिया पाड़ा	780/445	37-00 बीघा	कड़ोप	08 गट्ठा x 3 गट्ठा = 24 गट्ठा	0-02 बीघा	29452/- प्रति बीघा सिंचित सड़क पर	2946/-	5900/-

प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 780/445 रकबा 37-00 बीघा में से मांगे गये प्रस्तावित रास्ते में 0-02 बीघा अक्षरे दो बिस्वा भूमि प्रयुक्त होगी। प्रस्तावित रास्ते में कोई कीमती पेड़, मकान आदि नहीं है संलग्न नक्शे में लाल रंग हरे रंग से प्रस्तावित रास्ते को दर्शाया गया है, इसके अलावा अन्य कोई निकटतम विकल्प प्रार्थीगण के खातेदारी खेत ख०न० 449 से सड़क मार्ग तक पहुंचने हेतु उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र निकटतम विकल्प है। ग्राम मंगलिया पाड़ा की DLC सिंचित सड़क पर 29452/- रुपये प्रति बीघा है। प्रार्थीगण द्वारा मांगे गये प्रस्तावित रास्ते के खसरा संख्या 780/445 पर माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के मुकदमा नम्बर 181/2021, दिनांक 2-9-21 द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है।

फर्द मौका पढ़कर सुनाई गई मौके पर गवाहान के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:31 IST
Reason: SelfAttested

17/12/2021

ILR सारला

पटवारी मंगलिया

रामाराम

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

अंगूठा तोगा

अंगूठा जिमाल

अंगूठा पटाडीन

नक्शा नकल ग्राम मांगलिया गाढ़ा प०म० आनपालिया तहसील - सेडवा

पैमाना एक इंच = 80 गट्ठा

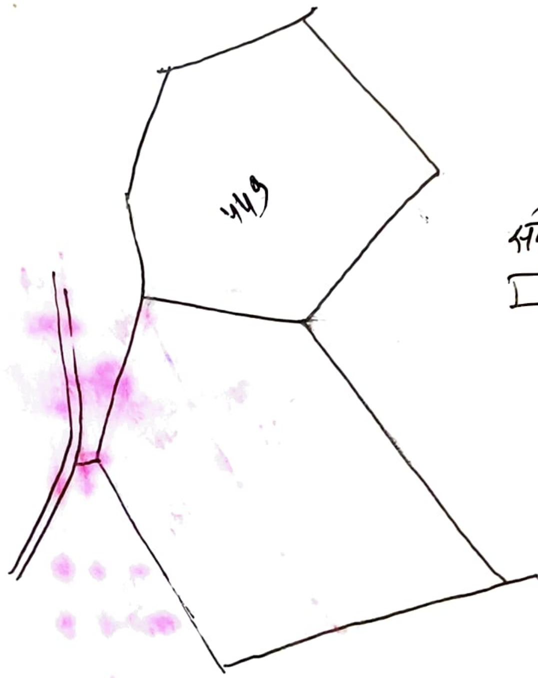

संकेत

☐ - रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि

17/12/2021

ILR सारला

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:31 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 17-12-2021 को श्रीमान तहसीलदार सेड़वा के आदेश क्रमांक/020 दिo 13-12-2021 एवं माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व आवेदन संख्या 98/2019 अनवान तोगा बनाम उमेदी कौरह अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A में मौका रिपोर्ट तैयार करने मय हल्का पटवारी के ख०नं० 780/445 पर आया।

ग्राम मंगलिया पाड़ा के खातेदारान तोगा, आलम, कमाली पि० सच्चौ कौम मुसलमान [illegible] ने अपनी खातेदारी खेत खसरा संख्या 449 रकबा 35-15 बीघा किस्म [illegible] से सड़क मार्ग तक आने जाने के लिये विपार्थीगण के खसरा संख्या 780/445 रकबा 37-00 बीघा में से होकर रास्ते हेतु समर्पण ग्राम खसरा संख्या 889/445, 888/446 तक पहुंचने के लिये रास्ते की मांग की है। प्रार्थीगण द्वारा मांगे गये प्रस्तावित रास्ते के अलावा सड़क मार्ग तक पहुंचने हेतु अन्य कोई निकटतम विकल्प उपलब्ध नहीं है प्रस्तावित रास्ते की ग्राम आवागमन योग्य है जिसका विवरण निम्नानुसार है! —

क्र०सं	खातेदारान का नाम मय सकूनत	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते की लं० x चौ०	प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त भूमि	DLC दर प्रति बीघा	प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त भूमि की DLC से कीमत	प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त भूमि का DLC दर से दुगुनी दर से राशि
1.	उमेदी पत्नी जमील खां ½ उमर वल्द दीनू ½ कौम मुसलमान सा० मंगलिया पाड़ा खातेदार रहन - उमेदी का हिस्सा SBBJ शाखा सेड़वा	मंगलिया पाड़ा	780/445	37-00 बीघा	[illegible]	08 गट्ठा x 3 गट्ठा = 24 गट्ठा	0-02 बीघा	29452/- प्रति बीघा सिंचित सड़क पर	2946/-	5900/-

प्रार्थीगण द्वारा विपार्थीगण के खसरा संख्या 780/445 रकबा 37-00 बीघा में से मांगे गये प्रस्तावित रास्ते में 0-02 बीघा अर्थात दो बिस्वा भूमि प्रयुक्त होगी। प्रस्तावित रास्ते में कोई कीमती पेड़, मकान आदि नहीं है संलग्न नक्शे में [illegible] रंग से प्रस्तावित रास्ते को दर्शाया गया है, इसके अलावा अन्य कोई निकटतम विकल्प प्रार्थीगण के खातेदारी खेत ख०नं० 449 से सड़क मार्ग तक पहुंचने हेतु उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र निकटतम विकल्प है। ग्राम मंगलिया पाड़ा की DLC सिंचित सड़क पर 29452/- रुपये प्रति बीघा है। प्रार्थीगण द्वारा मांगे गये प्रस्तावित रास्ते के खसरा संख्या 780/445 पर माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के मुकदमा नम्बर 181/2021 दिनांक 2-9-21 द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है।

फर्द मौका पढ़कर सुनाई गई सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:31 IST
Reason: SelfAttested

17/12/2021
ILR सारला

रामाराम

अमालत

17/12/2021
[illegible]

कमाली

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

आंगु० तोगा

आंगु० जिमाल

आंगु० पटवारी

ग्राम – मोलियापाड़ा प.ह.नं. नागपालिया तहसील सेंधवा

पैमाना एक इंच = 80 गट्ठा

प्रथम कोर्ट

सहायक कलेक्टर (SDO) सेंधवा

संकेत

▭ - रास्ते हेतु प्रस्तावित भाग

17/12/2021

ILR सारल्वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:31 IST
Reason: SelfAttested

C.S.

तहसीलदार (भू.अ.) सेंधवा

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/ 6645

दिनांक :– 13/12/2021

प्रेषित :– तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 98/2019 अनवान तोगा बनाम उमेदी वगैरा अन्तर्गत राज. काश्त. अधिनियम की धारा 251 ए में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त राजस्व आवेदन में प्रार्थी को अपने खातेदारी एवं कब्जासुद भूमि मौजा मंगलिया पाडा पटवार हल्का जानपालिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बुरहान का तला तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 449 रकबा 35.15 बीघा किस्म बा0सो0 में आने जाने के लिए विपार्थीगण के खेत से रास्ता दिया जाना है। अतः आप मौके पर जाकर वर्तमान मौका स्थिति की जांच कर रास्ते में आने वाले किमती पेड़ो, मकान आदि का विवरण देते हुए रास्ते के लिए भूमि का विवरण सलंग्न प्रपत्र में तैयार कर मौका रिपोर्ट आगामी तारीख पेश ी दिनांक .... से पूर्व इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	डी एल सी दर	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उमेदी वगैरा	780	37.00 बीघा	20 फीट				बा0दो0

मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट टिप्पणी उल्लेखित की जावे की प्रार्थीगण/विपार्थीगण द्वारा आवेदन में प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अगर आवेदन में प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की चौड़ाई के कॉलम सं.5 में रास्ते की चौड़ाई अंकित की जावे तथा मौका फर्द में इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो। कमीश्नर फीस 500/ रूपये प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

क्र./रीडर/2022/ 343 दिनांक :- 19.07.2022

प्रेषित :- तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ ।

विषय :- राजस्व आवेदन सं. 98/2019 अनवान तोगा वगैरा बनाम उमेदी वगैरा अन्तर्गत राज. काश्त. अधिनियम की धारा 251 ए में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त राजस्व आवेदन में प्रार्थीगण को अपने खातेदारी एवं कब्जाशुदा भूमि मौजा मंगलिया पाड़ा पटवार हल्का जानपालिया भू.अ.नि. क्षेत्र बुरहान का तला तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 449 रकबा 35.15 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत से रास्ता दिया जाना है। इस संबंध में आप द्वारा पूर्व में भिजवायी गयी मौका रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि दोनों पक्षों के रूबरू मौका रिपोर्ट बनाई गई अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सूचना के नोटिस देते हुए तथा दोनो पक्षों के रूबरू जहां से नजदीकी रास्ता पड़ता हों। वहां से मौका रिपोर्ट तैयार कर मौका रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.08.2022 से पूर्व इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उमेदी वगैरा	780	37.00 बीघा	20 फिट		मंगलिया पाड़ा		बा.दो.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:31 IST
Reason: SelfAttested